ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के द्वारा, श्री बलराज कुंडू, विधायक नारनौल, महेन्द्रगढ और चरखी दादरी समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम की वजह से सरसों की फसल बुरी तरह बर्बाद होने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि नारनौल, महेन्द्रगढ और चरखी दादरी समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम की वजह से सरसों की फसल बुरी तरह से बर्बाद हुई है और आर्थिक बदहाली झेल रहे किसानों को न तो बीमा कंपनियों से मुआवजा मिल पाया और न ही सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता मिल पाई है। इसी प्रकार कलानौर, महम और जुलाना आदि कई क्षेत्रों में जलभराव के चलते फसलों की बिजाई भी नहीं हो पाई जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार की तरफ से ऐसी स्थिति में 7 हजार रूपये प्रति आर्थिक सहायता देने की बातें भी कही गई थी मगर, दुर्भाग्य है कि किसान भाइयों की कोई मदद नहीं की गयी जिससे किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। अतः माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते है कि इस बेहद गम्भीर विषय पर सदन में विस्तार से चर्चा करवाई जाए और सरकार सदन में अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या ४८ स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या २ के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48 के द्वारा श्रीमती किरण चौधरी, विधायक पाले से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहती है कि अभी हाल ही में हुई सरसों और सिब्जियों की फसले अत्यिधक पाला पड़ने से पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। यूपीए के कार्यकाल में वर्ष 2012-13 में श्रुति चौधरी पूर्व सांसद ने पाला शब्द को भी प्राकृतिक आपदा में डलवाया था क्योंकि उस समय बहुत पाला पड़ा था और ऐसा ही फसलों का नुकसान हुआ था। उस उपरान्त सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करवाते हुए 31.10 करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया था। अतः माननीय सदस्या सरकार से अनुरोध करती है कि इस नुकसान की क्षतिपूर्ति स्पेशल गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को कराए क्योंकि इस बार यह नुकसान 50 हजार प्रति एकड़ होना बताया जा रहा है। आशा है कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस मुआवजे की घोषणा शीघ्र अति शीघ्र करेगी।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ संलग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54 के द्वारा, राव दान सिंह, विधायक, श्री जगबीर सिंह मिलक, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री मम्मन खान, विधायक, श्री चिरंजीव राव, विधायक तथा श्री शीशपाल सिंह, विधायक द्वारा प्रदेश में जनवरी माह में अधिक सर्दी के कारण सरसों की फसल को नुकसान होने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि जनवरी माह में अधिक सर्दी से पड़े भयंकर पाले के कारण सरसों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। जिसकी मार से सरसों की फसल में 70 प्रतिशत तक का खराबा हुआ है और सरसों की फलियों में दाने नहीं बचे है। विशेषकर दिक्षणी हरियाणा के जिले महेन्द्रगढ, भिवानी, दादरी, रिवाडी, गुडगांव और मेवात क्षेत्र आदि में सरसों की फसल का बहुत नुकसान हुआ है। जिसके कारण वहां के किसान बहुत हताश व परेशान हो गए है। जिला महेन्द्रगढ में तो कई किसानों ने अपनी खडी सरसों की फसल में ट्रैक्टर चला दिया क्योंकि उनकी फसल में 70 प्रतिशत से भी अधिक का खराबा हुआ है। माननीय सदस्यगण का माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अनुरोध है कि इसकी तुरंत प्रभाव से सही तरीके से गिरदावरी करवा कर किसानों को उचित मुआवजा देने का सरकार काम करे और सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर उचित गिरदावरी करवाने व वहां के किसानों को मुआवजा देने संबंधी आश्वासन दे।

श्री दुष्यंत चौटाला, उप-मुख्यमन्त्री, हरियाणा का वक्तव्य

श्रीमान जी, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के प्रति सदैव तत्पर है। जब भी किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो सरकार द्वारा यथासमय मुआवजा दिया जाता है।

सरकार सूखे, धूल भरी आंधी, भूकंप, आग, शार्ट-सर्किट या बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, आसमानी बिजली, बाढ, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, शीत लहर/पाला,

लू तथा कीट हमलों से हुए फसल क्षिति, पशुपालन नुकसान, मत्स्य नुकसान, हस्तिशिल्प/हथकरघा नुकसान, आवास के लिए पीडितों को तत्काल राहत प्रदान करती है। आग लगने की स्थिति में व्यक्तिगत सम्पति के नुकसान के लिए राज्य आपदा प्रबन्धन कोष से मुआवजा प्रदान किया जाता है।

बाढ़/जल भराव, आग, बिजली की चिंगारी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए राज्य सरकार के मुआवजे के मानदण्ड भारत सरकार के मानदण्डों की तुलना मे अधिक है। 33 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर प्रति किसान अधिकतम 5 एकड सीमा के अधीन भारत सरकार द्वारा 17000/- रूपये प्रति हैक्टेयर (6883/- -रूपये प्रति एकड) मुआवजा प्रदान किया जा रहा है जबिक राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर 15000/- रूपये प्रति एकड, ≥ 50 प्रतिशत से < 75 प्रतिशत नुकसान होने पर 12000/- रूपये प्रति एकड और ≥ 25 प्रतिशत से < 50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 9000/- रूपये प्रति एकड मुआवजा प्रदान किया जाता है (प्रति हिस्सेदार को न्यूनतम 500 रूपये बोये गये क्षेत्र तथा अधिकतम 5 एकड प्रति किसान सीमा के अधीन सहायता प्रदान की जाती है)। 25 प्रतिशत से < 33 प्रतिशत के बीच फसलों मे हुए नुकसान के लिए पूर्ण मुआवजा राशि राज्य सरकार के बजट से वहन की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.10.2014 से 28.02.2023 तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ, भारी वर्षा/जलभराव, आग, ओलावृष्टि, कीट हमले और शीत लहर/पाला से फसलों को हुए नुकसान के लिए मु0 3902.43 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि जारी की जा चुकी है।

पाले व खराब मौसम के कारण सरसों व सब्जियों की फसल खराब होने बारे

श्रीमान जी, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक correction slip/H.L.R.M/No.1430-ARS-2-2019/7813, दिनांक 30.07.2019 अनुसार प्रदेश में दिनांक 01 फरवरी से 01 मार्च तक रबी फसलों की सामान्य गिरदावरी की जाती है। इस अविध के दौरान यदि फसलों मे कोई खराबा पाया जाता है तो उसे सामान्य गिरदावरी में ही कवर कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के पत्र क्रमांक 59-ई0आर-05-2023/686, दिनांक 02.02.2023 द्वारा प्रदेश के सभी उपायुक्तों से अनुरोध किया गया है कि राज्य मे शीत लहर/पाला तथा भारी वर्षा/ओलावृष्टि से रबी फसल, 2023 मे कोई नुकसान हुआ है तो उसे सामान्य गिरदावरी मे कवर करते हुए खराबा रिपोर्ट अपने सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्त के माध्यम से कथित प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार के नार्मज दिनांक 24.05.2022 व भारत सरकार के नार्मज दिनांक 10.10.2022 अनुसार सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करे। जिलों से मण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से रबी फसल 2023 की खराबा रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार के नार्मज/हिदायतों अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी। जहां तक जलभराव के कारण रबी फसल 2023 की बिजाई ना हो पाने का सम्बन्ध है बारे मामला सरकार के विचाराधीन है।

Sir,

Haryana being an agrarian State, the Government is conscious of its responsibility to safeguard the interest of farmers. Wherever the farmers suffer any loss due to damage to crops, it becomes the prime duty of the Government to compensate them to the extent possible.

The Government provides immediate relief to the victims of drought, duststorm, earthquake, fire, fire caused due to short-circuit or electric sparking, lightning, flood, hailstorm, landslide, cloud burst, cold wave/frost, heat wave and pest attack in terms of gratuitous relief for crop damage, animal husbandry losses, fishery losses, handicrafts/handloom losses, housing, loss of personal property in case of fire from the State Disaster Response Fund.

The State Government compensation norms as well as damaged percentage coverage for crop damage are higher compared to the Government of India norms in case of damage due to Floods/Standing water, Fire, Electric Sparking, Heavy Rains, Hailstorm, Pest Attack and Dust storm. Government of India is providing Rs. 17,000/- per hectare (Rs. 6883/-per acre) for 33% and above damage subject to a ceiling of 5 acre per farmer whereas the State Government is providing compensation of Rs. 15000/- per acre for \geq 75% and above damage, Rs. 12000/- per acre for \geq 50% to <75% damage and Rs. 9000/- per acre for \geq 25% to <50% damage (subject to minimum assistance being not less than Rs. 500/- per shareholder and restricted to sown areas with a ceiling of 5 acre per farmer). No relief is provided for the crop damage of less than 25%. As such, the whole compensation for the damage to crops between \geq 25% to <33% is met out from State Budget.

Compensation amounting to Rs. 3902.43 crores for crops damage due to various natural calamities such as drought, flood, heavy rain/water logging, fire, hailstrom, pest attack and cold wave/frost has been released by the State Government from 26.10.2014 to 28.02.2023.

Regarding damage to mustard and vegetables crops due to frost and bad weather

Sir, As per notification of Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department No. H.L.R.M/No. 1430-ARS-2-2019/7813, dated 30.07.2019, the Normal girdawari for Rabi Crops in the State are conducted from 1st February to 1st March. During this period, if any damage is found in the crops, it is covered in normal girdawari. Apart from this, vide letter No.59-ER-5-2023/686 dated 02.02.2023, all the Deputy Commissioners of the State have been requested to cover the crop damage in Rabi crops 2023 due to cold wave/frost and heavy rain/hailstorm in normal girdawari if found any and damage report may be forworded to the Government through concerned Divisional Commissioner by mentioning the alleged natural calamity as per State Government norms dated 24.05.2022 and Government of India norms dated 10.10.2022. The damage report of Rabi crops, 2023 from the districts through Divisional Commissioners are still awaited. Necessary action will be taken as per norms/instructions of the Government, on receipt of these reports. In addition to this, the issue of land being remained unsown in Rabi crop 2023 due to water logging is under the consideration of the Government.